न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा
(आर.ए.एस.)

न.मु.– 06 / 2013

दिनांकः– 21 / 01 / 2020

1. चेतनराम पुत्र स्व. पेमाराम जाति खाती सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर राज.

...............वादी

बनाम

1. स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. रामूराम जाति जांगीड़ सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर

   1/1 श्रीमती पुरी पत्नी स्व. भंवरलाल जाति जांगीड़ सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर

   1/2 श्रीमति सुशीला पुत्री स्व. भंवरलाल जाति जांगीड़ सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर

   1/3 श्रीमति गायत्री पुत्री स्व. भंवरलाल जाति जांगीड़ सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर

   1/4 श्रीमति सरिता पुत्री स्व. भंवरलाल जाति जांगीड़ सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर

   1/5 कु. जेठी पुत्री स्व. भंवरलाल अवयस्क संरक्षता माता श्रीमति पुरी पत्नी स्व. भंवरलाल जाति जांगीड़ सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर

2. किशनलाल पुत्र स्व. रामूराम जाति खाती सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
3. हंसराज पुत्र स्व. रामूराम जाति खाती सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
4. स्व. भागीरथ पुत्र स्व. रामूराम जाति खाती सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

   4/1 श्रीमति गंगा देवी पत्नी स्व. भागीरथ जाति खाती सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

   4/2 दिनेश पुत्र स्व. भागीरथ [illegible] गादेवी पत्नी स्व. भागीरथ जाति खाती सुथार निवासी लालमदेसर तहसील नोखा जिला [illegible]

   4/3 पवन पुत्र स्व. भागीरथ [illegible] गादेवी पत्नी स्व. भागीरथ जाति [illegible] सुथार निवासी लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीका[illegible]

   4/4 ज्योति पुत्री स्व. भागीरथ अवयस्क संरक्षता माता श्रीमति गंगादेवी पत्नी स्व. भागीरथ जाति खाती सुथार निवासी लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:53:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

4/5 सोनू पुत्री स्व. भागीरथ अवयस्क संरक्षता माता श्रीमति गंगादेवी पत्नी स्व. भागीरथ जाति खाती सुथार निवासी लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

4/6 मोनू पुत्री स्व. भागीरथ अवयस्क संरक्षता माता श्रीमति गंगादेवी पत्नी स्व. भागीरथ जाति खाती सुथार निवासी लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

5. श्रीमति गोमती पत्नी स्व. रामूराम जाति खाती सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

6. श्रीमति पार्वती पुत्री स्व. रामूराम जाति खाती सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

7. पुरखाराम पुत्र स्व. पेमाराम जाति सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

8. स्व. खीयाराम पुत्र स्व. पेमाराम जाति सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

8/1 हड़मान पुत्र स्व. खींयाराम जाति सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

8/2 जेठाराम पुत्र स्व. खींयाराम जाति सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

8/3 जगदीश पुत्र स्व. खींयाराम जाति सुथार निवासी ग्राम लालमदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

8/4 श्रीमति लिछमा पत्नी भोमाराम पुत्री स्व. खींयाराम जाति सुथार निवासी केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

8/5 श्रीमति केशर पत्नी देवाराम पुत्री स्व. खींयाराम जाति सुथार निवासी केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

8/6 श्रीमति रेवन्ती पत्नी गणेशाराम पुत्री स्व. खींयाराम जाति सुथार निवासी केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

8/7 श्रीमति गीतू पुत्री स्व. खींयाराम पत्नी किशनाराम जाति सुथार निवासी ऊपनी तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जिला चूरू (राज.)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रिकार्ड दुरस्ती, चिर निषेधाज्ञा, विभाजन आदि बाबत
समस्त प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर

उपस्थित :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री दीनदयाल प्रजापत वादी की ओर से...
2. विद्वान अधिवक्ता श्री अमरसिंह प्रतिवादीगण
3. पैरोकार राज. प्रतिवादी 9

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:53:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय :–

दिनांकः–21/01/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ बीदासर जिला-चूरू ★

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 वा 8 सगे भाई है एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 वादी के सगे भाई स्व. रामूराम के वारिसान है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 स्व. पेमाराम के जायज वारिसान है। यह कि सभीका खसरा नम्बर 207 तादादी 161 बीघा 02 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 320 तादादी 76 बीघा 06 बिस्वा, 483 तादादी 01 बीघा 03 बिस्वा, 474 तादादी 81 बीघा 05 बिस्वा, 475 तादादी 06 बिस्वा, 477 तादादी 13 बिस्वा, 480 तादादी 1 बीघा, 481 तादादी 11 बिस्वा, 484 तादादी 03 बिस्वा कुल रकबा 161 बीघा 02 बिस्वा वाके रोही कातर बड़ी तहसील हाल बीदासर मिलाल क्षेत्रफल दावे के साथ प्रस्तुत है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 के मोरीशआला स्व. पेमाराम ने संयुक्त परिवार की आय से संयुक्त स्वामीत्व के लिए साबिका खेत खसरा संख्या 207 तादादी 161 बीघा 02 बिस्वा रोही मोजा कातर बड़ी मेसे 80 बीघा 11 बिस्वा भूमि खरीद की थी वा खरीद करने के बाद कब्जा प्राप्त कर लिया स्व. पेमाराम व उसके वारिसान काश्त करने लगे। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 320 तादादी 76 बिघा 06 बिस्वा में है। जिसे आगे दावे में वादगत सम्पति के रूप में संबोधित किया गया है। स्व. पेमाराम के चार पुत्रों में से प्रतिवादी संख्या 08 खींयाराम संयुक्त परिवार से सम्वत 2011 में अलग हो गया था तथा उसका तभी से अलग खान–पान अलग रिहायश अपना धंधा करने लगा तथा संयुक्त परिवार से अपने हिस्से की अलग से भूमि ले ली। शेष तीनो भाई वादी चेतनराम प्रतिवादी संख्या 07 पुरखाराम प्रतिवादी संख्या 01 ता चार के पिता प्रतिवादीनी संख्या 05 के पति व प्रतिवादिनी संख्या 06 के पिता स्व. रामूराम अपने पिता स्व. पेमाराम के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। स्व. पेमाराम अपने तीनो पुत्रों के साथ रहता तथा संयुक्त परिवार के कर्ता खानदान की हैसियत से समस्त लेनदने खरीद–फरोस्त राजकाम का कार्य करता था। स्व. पेमाराम ने अपने जीवनकाल में स्व. सुल्तानसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत निवासी कातर बड़ी से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27 मार्च 1959 को खरीद की थी। परन्तु विक्रय पत्र में क्रेता का नाम पेमाराम वल्द पन्नाराम जाति खाती निवासी कातर बड़ी के बजाए हिराम पुत्र पेमाराम जाति खाती निवासी कातर बड़ी लिख दिया गया जबकि पेमाराम के हिराम नाम का कोई पुत्र ना तो था ना ही पैदा हुआ स्व. पेमाराम ने वादगत कृषि भूमि को पहले संयुक्त परिवार के अपने तीनो पुत्रो के साथ काश्त उपयोग उपभोग किया तथा फिर अपने तीनों पुत्र स्व. रामूराम, चेतनराम व पुरखाराम में बराबर–बराबर बांट दिया व वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 320 तादादी 76 बीघा 06 बिस्वा वाके रोही कातर बड़ी मे से 1/3 हिस्सा आथुणा पासा की वादी चेतनराम की हिस्से पांति में रखा गया तथा बीच का हिस्सा स्व. रामूराम व अगुणी और का हिस्सा पुरखाराम प्रतिवादी संख्या 07 के हिस्से पांति में रखा गया। मौखित तौर पर किये गये बंटवारा जो करीबन आज से 40 वर्ष पूर्व किया गया था। उसी वक्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 07 व प्रतिवादी संख्या 01 ता 5 मोरूसीआल[illegible]पति स्व. रामूराम ने अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गये मौके प[illegible] अलग–अलग अपने–अपने हिस्से को काश्त, उपयोग, उपभोग [illegible] अपने 1/3 हिस्से की बंटवारा में आयी भूमि को काश्त करने लगा, फसल लेने लगा, काश्त के मौ[illegible] खेत में झोपड़ा बनाकर रहने लगा तथा पानी के लिए पुख्ता कुंड 1983 में स्वयं के परिवार की आय से निर्माण करवाया वादी मौसम काश्त ने परिवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:53:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

सहित अपने पशुधन सहित वादगत खेत मे से अपने हिस्सा की 1/3 कृषि भूमि जो उसके बंटवारे के मुताबिक हिस्से पांति में आयी हुयी थी। रहकर काश्त, उपयोग, उपभोग करता चला आ रहा है और आज भी करता है। वादगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 स्व. पेमाराम की संयुक्त परिवार की आय से खरीद शुदा संयुक्त परिवार की सम्पति है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा आथुणी और का है वादी के कब्जाधिकार की सम्पति है जिसका राजस्व रिकार्ड में भूलवंश पहले हिराम व अब देराज पुत्र पेमाराम नाम दर्ज है जबकि स्व. पेमाराम के हिराम या देराज नाम का कोई लड़का ना तो था ना ही पैदा हुआ ना ही कभी रहा। वादी संयुक्त परिवार की आय से खरीदी हुई संयुक्त स्वामित्व की वादगत कृषि भूमि जिसमें से 1/3 हिस्सा मौखिक बंटवारे के मुताबिक वादी के हक हिस्सा पांति स्वामित्व में आयी हुई है कि घोषणा करवाकर वादगत कृषि भूमि में से अपने 1/3 हिस्से की आथुणी पाखी की भूमि की खातेदारी की घोषणा करवा कर अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है आदि आदि।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 9 को तलब किया गया तथा वादी वा प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/5 व प्रतिवादी संख्या 02, 03 व प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/6 व प्रतिवादी 05, 06 व 07 व प्रतिवादी संख्या 8/1 से 8/7 की ओर से राजीनामा पेश किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतू कायम की गई वादी चेतनराम के बयान लेखबद्ध करवाये गये। दस्तावेज साक्ष्य में पी. 1 मिलान क्षेत्रफल व पी. 2 जमाबन्दी प्रदर्शित करवाये।

बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि जरिये राजीनामा के आधार पर दावा वादी के पक्ष में डिक्री किया जावे तथा घोषित किया जाये कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 320 तादादी 76 बीघा 06 बिस्वा वाके रोही कातर बड़ी मे से 1/3 हिस्सा आथुणा पासा की वादी चेतनराम की हिस्से पांति में रखा गया तथा बीच का हिस्सा स्व. रामूराम व अगुणी और का हिस्सा पुरखाराम प्रतिवादी संख्या 07 के हिस्से पांति में रखा जावे। वर्तमान खसरा नम्बर 320 तादादी 76 बिघा 06 बिस्वा में है। जिसे आगे दावे में वादगत सम्पति के रूप में संबोधित किया गया है। स्व. पेमाराम के चार पुत्रों में से प्रतिवादी संख्या 08 खींयाराम संयुक्त परिवार से सम्वत 2011 में अलग हो गया था तथा उसका तभी से अलग खान–पान अलग रिहायश अपना धंधा करने लगा तथा संयुक्त परिवार से अपने हिस्से की अलग से भूमि ले ली। शेष तीनो भाई वादी चेतनराम प्रतिवादी संख्या 07 पुरखाराम प्रतिवादी संख्या 01 ता चार के पिता प्रतिवादीनी संख्या 05 के पति व प्रतिवादिनी संख्या 06 के पिता स्व. रामूराम अपने पिता स्व. पेमाराम के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। स्व. पेमाराम अपने तीनो पुत्रों के साथ रहता तथा संयुक्त परिवार के कर्ता खानदान की हैसियत से समस्त लेनदेन [illegible] राजकाम का कार्य करता था। स्व. पेमाराम ने अपने जीवनकाल में स्व. सुल[illegible] पु[illegible]सिंह जाति राजपूत निवासी कातर बड़ी से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27 मार्च 1959 को खरी[illegible] परन्तु विक्रय पत्र में केता का नाम पेमाराम वल्द पन्नाराम जाति खाती निवासी कातर बड़ी के बजाए हिराम पुत्र पेमाराम जाति खाती निवासी कातर बड़ी लिख दिया गया जबकि पेमाराम के हिराम नाम का कोई पुत्र ना तो था ना ही पैदा हुआ स्व.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:53:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

पेमाराम ने वादगत कृषि भूमि को पहले संयुक्त परिवार के अपने तीनो पुत्रो के साथ काश्त उपयोग उपभोग किया तथा फिर अपने तीनों पुत्र स्व. रामूराम, चेतनराम व पुरखाराम में बराबर–बराबर बांट दिया व वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 320 तादादी 76 बीघा 06 बिस्वा वाके रोही कातर बड़ी मे से 1/3 हिस्सा आथुणा पासा की वादी चेतनराम की हिस्से पांति में रखा गया तथा बीच का हिस्सा स्व. रामूराम व अगुणी और का हिस्सा पुरखाराम प्रतिवादी संख्या 07 के हिस्से पांति में रखा गया। मौखित तौर पर किये गये बंटवारा जो करीबन आज से 40 वर्ष पूर्व किया गया था। उसी वक्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 07 व प्रतिवादी संख्या 01 ता 5 मोरूसीआला पिता एवं पति स्व. रामूराम ने अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गये मौके पर सींव बना ली जो अब तक कायम है। अलग–अलग अपने–अपने हिस्से को काश्त, उपयोग, उपभोग करने लगे। वादी चेतनराम अपने 1/3 हिस्से की बंटवारा में आयी भूमि को काश्त करने लगा, फसल लेने लगा, काश्त के मौसम में खेत में झोपड़ा बनाकर रहने लगा तथा पानी के लिए पुख्ता कुंड 1983 में स्वयं के परिवार की आय से निर्माण करवाया वादी मौसम काश्त ने परिवार सहित अपने पशुधन सहित वादगत खेत मे से अपने हिस्सा की 1/3 कृषि भूमि जो उसके बंटवारे के मुताबिक हिस्से पांति में आयी हुयी थी। रहकर काश्त, उपयोग, उपभोग करता चला आ रहा है और आज भी करता है। वादगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 स्व. पेमाराम की संयुक्त परिवार की आय से खरीद शुदा संयुक्त परिवार की सम्पति है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा आथुणी और का है वादी के कब्जाधिकार की सम्पति है जिसका राजस्व रिकार्ड में भूलवंश पहले हिराम व अब देराज पुत्र पेमाराम नाम दर्ज है जबकि स्व. पेमाराम के हिराम या देराज नाम का कोई लड़का ना तो था ना ही पैदा हुआ ना ही कभी रहा। वादी संयुक्त परिवार की आय से खरीदी हुई संयुक्त स्वामित्व की वादगत कृषि भूमि जिसमें से 1/3 हिस्सा मौखिक बंटवारे के मुताबिक वादी के हक हिस्सा पांति स्वामित्व में आयी हुई है कि घोषणा करवाकर वादगत कृषि भूमि में से अपने 1/3 हिस्से की आथुणी पाखी की भूमि की खातेदारी की घोषणा करवा कर अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है आदि आदि। जबकि वादगत भूमि में वादी का अपने हक हिस्से की भूमि पर पुख्ता कब्जा उपयोग उपभोग व अधिकार चला आ रहा है। प्रतिवादियों को जरिये चिरनिषेधाज्ञा पाबन्द फरमाये कि वादगत भूमि मे से वादी के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल ना करे विक्रय, किसी भी तरह का हस्तान्तरण, रहन, वैय निर्माण आदि आदि ना करे ना ही वादी को उसके कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करे। ना ही काश्त मे दखलअन्दाजी देवे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से दखलअन्दाजी दिलावे। ना ही अन्य कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादी के वैध अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़े। प्रतिवादी सं. 09 तहसीलदार बीदासर को आदेशित फरमाया जावे कि मुताबिक निर्णय व डिकी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। अन्य कोई न्यायोचित [illegible] हो दिलायी जावे। वादपत्र के अनुतोष एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवंम दस्तावेजों व साक्ष्य [illegible] प्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी [illegible] पर वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:53:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

–: आदेश : –

वादी का वाद राजीनामा के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 320 तादादी 76 बीघा 06 बिस्वा वाके रोही कातर बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है भूमि के वर्तमान राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त किया जाकर उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 320 तादादी 76 बीघा 06 बिस्वा वाके रोही कातर बड़ी तहसील बीदासर मे से 1/3 हिस्सा यानी 25 बीघा 08 बिस्वा 10 बिस्वांशी आथुणा पासा की भूमि वादी चेतनराम की हिस्से पांति में रखा जाता है, तथा बीच का 1/3 हिस्सा 25 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्व. रामूराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के बराबर हिस्सा होगा और इस में से प्रतिवादी 1/1 से 1/5 व 4/1 से 4/6 का हिस्सा नियमानुसार होगा जो प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/5 व प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4/1 से 4/6 व प्रतिवादी संख्या 05 व 06 की पांती में रखी जाती है। तथा अगुणी ओर का 25 बीघा 08 बिस्वा 10 बिस्वांशी हिस्सा पुरखाराम प्रतिवादी संख्या 07 के हिस्से पांति में रखा जाता है। वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 06 के पिता/पति का नाम रामूराम उर्फ हिराम उर्फ दिराज चला आ रहा है। को दुरूस्त किया जाकर उसकी जगह रामूराम दर्ज किया जावें। उक्त हिस्सानुसार खसरा भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर दर्ज किया जावें। तथा वादगत भूमि का विभाजन किया जाकर खाता अलग अलग किया जाकर लगान अलग अलग कायम किया जाय। वा प्रतिवादी गण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वोह वादी के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल ना करे ना ही वादी को उसके कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करे। तथा वादी के अधिकारों के विपरीत कोई कृत्य नही करें। विभाजन प्रस्ताव प्रतिवादी संख्या 09 बीदासर तहसीलदार बीदासर के नाम आदेश जारी हो कि निर्णय वा डिक्री की पालना करें। इस हेतु अलग से लिखा जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21-01-2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:53:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner